दिशा–निर्देश /ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहॉपुर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर व सहारनपुर।

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0न0/अ0हे0कि0–दि0नि0/154/2017–18/5672-16 लखनऊः दिनांकः 01, ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2017

विषयः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Urban Health Kiosks (शहरी स्वास्थ्य उपकेन्द्र) की स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में 75 Urban Health Kiosks (जिसमें 20 Prefabricated Meterial से तैयार किये जाने वाले Urban Health Kiosks सम्मिलित हैं) की स्थापना एवं संचालन हेतु F.M.R. Code P.7.1 Innovation मद के अन्तर्गत रू0–115.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है किन्तु आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार Urban Health Kiosks हेतु जनपद में निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः 20 Urban Health Kiosks को Prefabricated Meterial से तैयार करने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0–67.00 लाख को जनपदों में उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है। अतएव 75 Urban Health Kiosks के संचालन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0–48.75 लाख को अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः Urban Health Kiosks की स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या– प0क0–13/सं0नि0न0/अ0हे0कि0–दि0नि0/154/2017–18/ तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4– अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5– सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष ,जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6– सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8– सम्बन्धित जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9– सम्बन्धित मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
10– सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

दिशा–निर्देश /ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर व सहारनपुर।

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0न0/अ0हे0कि0–दि0नि0/154/2017–18/ लखनऊः दिनांकः 01, ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2017

विषयः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Urban Health Kiosks (शहरी स्वास्थ्य उपकेन्द्र) की स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में 75 Urban Health Kiosks (जिसमें 20 Prefabricated Meterial से तैयार किये जाने वाले Urban Health Kiosks सम्मिलित हैं) की स्थापना एवं संचालन हेतु F.M.R. Code P.7.1 Innovation मद के अन्तर्गत रू0–115.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है किन्तु आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार Urban Health Kiosks हेतु जनपद में निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः 20 Urban Health Kiosks को Prefabricated Meterial से तैयार करने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0–67.00 लाख को जनपदों में उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है। अतएव 75 Urban Health Kiosks के संचालन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0–48.75 लाख को अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः Urban Health Kiosks की स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या– प0क0–13/सं0नि0न0/अ0हे0कि0–दि0नि0/154/2017–18/5688-93 तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4– अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5– सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष ,जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6– सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8– सम्बन्धित जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9– सम्बन्धित मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
10– सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

शहरी स्वास्थ्य उपकेन्द्र (URBAN HEALTH KIOSK)

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 10 हजार की शहरी जनसंख्या पर 01 ए0एन0एम0 तैनात की गयी है, जिनके द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में आउटरीच सेवाएं प्रदान की जा रही है। शहरों में ए0एन0एम0 के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र की कोई व्यवस्था नहीं है। ए.एन.एम. द्वारा शहरी आबादी विशेषकर मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित कर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है, परन्तु बैठने के स्थान की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गुणवत्तापरक सेवाएं उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस उद्देश्य से प्रथम चरण में प्रदेश के चिन्हित 16 बड़े शहरों में 75 Urban Health Kiosk स्थापित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृति प्रदान की गई है। इन Urban Health Kiosk को शहरी स्वास्थ्य उपकेन्द्र के रुप में संचालित किया जायेगा।

उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में इन नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) की स्थापना 16 बडे शहरों आगरा, अलीगढ, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर एवं जी0बी0 नगर में किया जाना है। इन शहरों में नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) को कम्युनिटी सेंटर या अन्य भवनों में संचालित किये जाने हेतु कक्ष की उपलब्धता की सूचना जनपदों के द्वारा राज्य स्तर को उपलब्ध करायी गयी है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में जनपदों में स्लम बस्तियों की जनसंख्या तथा कक्ष के उपलब्धता के दृष्टिगत 75 नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) के संचालन हेतु निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है–

S.No.	District	places available as per district report	District wise Approved Urban Health Kiosks
1	Aligarh	4 Places	4 Urban Health Kiosks
2	Agra	5 Places	5 Urban Health Kiosks
3	Firozabad	4 Places.	2 Urban Health Kiosks
4	Meerut	14 places	6 Urban Health Kiosks
5	Ghaziabad	4 places	4 Urban Health Kiosks
6	GB Nagar	2 places	2 Urban Health Kiosks
7	Kanpur Nagar	9 places	9 Urban Health Kiosks
8	Varanasi	13 Places	8 Urban Health Kiosks
9	Moradabad	17 Places	6 Urban Health Kiosks
10	Bareilly	2 Places	2 Urban Health Kiosks
11	Shahjahanpur	2 Places	2 Urban Health Kiosks
12	Jhansi	7 Places	4 Urban Health Kiosks
13	Allahabad	8 Places	6 Urban Health Kiosks
14	Lucknow	14 Places	9 Urban Health Kiosks
15	Gorakhpur	7 Places	5 Urban Health Kiosks
16	Saharanpur	1 Place	1 Urban Health Kiosk
Total		**113 places**	**75 urban health kiosks**

नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosk) –

नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) में ए.एन.एम. के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भॉति शहरी क्षेत्रों की जनता विशेषकर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जायेगा। इन उपकेन्द्रों में नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवायें, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें, संचारी एवं गैर संचारी रोगों हेतु परामर्श एवं उपचार, इत्यादि सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त इन नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र में आउटरीच हेल्थ कैम्प भी आयोजित किये जायेगें।

उपकेन्द्र की स्थापना–

1. भवन में विद्युत कनेक्शन हो तथा बिजली एवं पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है।
2. यह केन्द्र मलिन बस्तियों में या उनके करीब हो जिससे आस–पास में रहने वाली गरीब जनता को उसके घर के समीप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सके।
3. नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की 01 ए.एन.एम. एवं समीप क्षेत्र की 01 ए.एन.एम. इस प्रकार कुल 02 ए.एन.एम. द्वारा नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगीं।
4. प्रत्येक ए.एन.एम. का रोस्टर तैयार किया जाय एवं रोस्टर के अनुसार ए.एन.एम. के द्वारा क्षेत्र एवं नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कार्य किया जायेगा। रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाय कि 01 ए.एन.एम. अगर क्षेत्र में हो तो दूसरी ए.एन.एम. के द्वारा शहरी स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर जनता को सेवायें प्रदान करे।
5. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ओ.पी.डी. टाइम के भॉति नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगी।
6. नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) के स्थापना एवं संचालन हेतु निम्न वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है–

- **स्थापना (One time establishment)** – प्रत्येक नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) के स्थापना हेतु रु0 35000/– नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र के अनुसार धनराशि स्वीकृति की गयी है, जिसका उपयोग निम्नानुसार किया जाना है–
  - **टिन बोर्ड**– प्रत्येक नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र के द्वार पर टिन बोर्ड लगाया जायेगा। इस हेतु रु0 1000/– की धनराशि स्वीकृत है। टिन बोर्ड का स्पेशिफिकेशन निम्नवत् है–

Tin Board	
Iran pipe	Length 4 feet + Width 2.5 feet, One inch sq
Tin sheet	24 gage, 4X2.5 Sq.ft.
Printing	Size=4X2.5 Sq.ft., Vinyl print LG Glossy Ecosolvent

टिन बोर्ड का प्रोटोटाइप संलग्न है।

  - **अन्य सामग्री** –

क्र.	सामग्री	अनुमानित लागत रु0 में
1	ऑफिस टेबल– 01, आफिस चेयर –01, प्लास्टिक चेयर–04, स्टील बेंच–01	6000/–
2	अलमीरा– 01 (छोटी)	5000/–
3	परीक्षण टेबल, फुट स्टेप, मेट्रेस	4000/–
4	इन्वर्टर 650 के0वी0 विद बैटरी	16000/–
5	सिलिंग पंखा 01	1500/–
6	विविध (बाल्टी, परदे, डस्ट बिन, बल्ब/ ट्यूबलाइट इत्यादि)	1500–/

- **संचालनार्थ** (Operational Expenses) - प्रत्येक नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) के संचालनार्थ रु0 5000/– प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका उपयोग निम्नानुसार किया जायेगा –
  - रु0 1000/– (अधिकतम) बिजली के बिल के भुगतान हेतु।
  - रु0 1000/– कन्टीजेंसी हेतु– इस धनराशि का उपयोग साफ सफाई, स्टेशनरी, उपकरणों की मरम्मत, टूट फूट इत्यादि मद में किया जा सकता। अपरिहार्य स्थिति में ए.एन.एम. द्वारा इस धनराशि के उपयोग उपरान्त वास्तविक भुगतान के आधार पर उसका अदायगी कर दी जाय।

- किराये हेतु अधिकतम रू0 3000/– (किराये के भवन में संचालित नगरीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र) हेतु। इस धनराशि का उपयोग बिजली कनेक्शन लेने हेतु भी किया जा सकता है।
- **औषधि एवं कन्ज्यूमेबल्स की व्यवस्था** – नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से की जायेगी
- **अन्य उपकरण – राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ए0एन0एम0 को यू0एच0एन0डी0 आयोजित किये जाने हेतु किट के क्रय हेतु धनराशि पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है।**

वित्तीय व्यवस्था –

शहरी स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Urban Health Kiosks) की स्थापना एवं संचालन हेतु F.M.R. Code P.7.1 Innovations मद में धनराशि निम्नानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा रही है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

District wise budget details of Activities under NUHM

Code & Head as per RoP			P.7.1 Inovation		District wise Amount for all activity (In Rs.)
Code	District	Target	@ Rs. 5000 pm per Health Kiosk for 6 month	@ Rs. 35000 per Health Kiosk	
901	Agra	5	1,50,000.00	1,75,000.00	3,25,000.00
902	Aligarh	4	1,20,000.00	1,40,000.00	2,60,000.00
903	Allahabad	6	1,80,000.00	2,10,000.00	3,90,000.00
915	Bareilly	2	60,000.00	70,000.00	1,30,000.00
928	Firozabad	2	60,000.00	70,000.00	1,30,000.00
929	GB Nagar	2	60,000.00	70,000.00	1,30,000.00
930	Ghaziabad	4	1,20,000.00	1,40,000.00	2,60,000.00
933	Gorakhpur	5	1,50,000.00	1,75,000.00	3,25,000.00
940	Jhansi	4	1,20,000.00	1,40,000.00	2,60,000.00
943	Kanpur Nagar	9	2,70,000.00	3,15,000.00	5,85,000.00
949	Lucknow	9	2,70,000.00	3,15,000.00	5,85,000.00
955	Meerut	6	1,80,000.00	2,10,000.00	3,90,000.00
957	Moradabad	6	1,80,000.00	2,10,000.00	3,90,000.00
963	Saharanpur	1	30,000.00	35,000.00	65,000.00
967	Shahjahanpur	2	60,000.00	70,000.00	1,30,000.00
975	Varanasi	8	2,40,000.00	2,80,000.00	5,20,000.00
Total		**75**	**22,50,000.00**	**26,25,000.00**	**48,75,000.00**

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय–

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।